न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 18/2023
दायर दिनांक : 07.06.2023
निर्णय दिनांक : 16.04.2025

1. रामगोपाल पुत्र प्रभात जाति मीना, निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
2. राधाकृष्ण पुत्र प्रभात जाति मीना, निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
3. हरिनारायण पुत्र प्रभात जाति मीना, निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. कल्याण उर्फ कल्या पुत्र गोरधन जाति मीना, निवासी मांगाभाटा तहसील व जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा के रहने वाले हैं। आराजी खसरा नम्बर 547, 548, 644, 646, 648 वाके ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 2 पडौसी खातेदार की खातेदारी भूमि है, जो अपनी खातेदारी भूमि की आड में प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि को दबाना चाहता है। यह कि तहसीलदार दौसा के आदेश से दिनांक 08.05.2023 को हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया व उक्त आराजी की सीमाएँ कायम कर चारों सीमाओं की जानकारी करवायी व मौका पर्चा तैयार कर वहाँ उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहा है। यह कि न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कायम करने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश फरमावें कि वह आराजी खसरा नम्बर 547, 548, 644, 646, 648 वाके ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा का मौके पर मय टीम गठित कर जरिए पुलिस इमदाद पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध, बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी 1 तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मांगाभाटा स्थित खसरा नम्बर 547, 548 रामगोपाल, राधाकिशन, हरिनारायण पि. प्रभात

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

जाति मीणा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 644, 646, 648 राधाकृष्ण, रामगोपाल, हरिनारायण पि॰ प्रभात जाति मीणा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 547, 548 के पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है जबकि खसरा नम्बर 644, 646, 648 के पडौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। खसरा नम्बर 547, 548 का सीमाज्ञान किया जा चुका है किन्तु मौके पर विवाद होने से खसरा नम्बर 644, 646, 648 का सीमाज्ञान नहीं किया जा सका है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा के जवाब से प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है। हालांकि तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 547, 548 का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है एवं मौके पर विवाद होने से खसरा नम्बर 644, 646, 648 का सीमाज्ञान नहीं किया गया है। किन्तु उक्त विवादित आराजीयात पर किसी न्यायालय का स्थगन होने के संबंध में तहसीलदार दौसा ने कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 547, 548, 644, 646, 648 का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:34 IST
Reason: SelfAttested